सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL

## Government of Uttar Pradesh

### e-Stamp

| | | |
|---|---|---|
| Certificate No. | : | IN-UP676069334897 13U |
| Certificate Issued Date | : | 03-Dec-2022 10:57 AM |
| Account Reference | : | NEWIMPACC (SV)/ up14140504/ AYODHAYA SADAR/ UP-FZB |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-UPUP14140504283286460729 81U |
| Purchased by | : | SATHI |
| Description of Document | : | Article 24 Copy or Extract |
| Property Description | : | Not Applicable |
| Consideration Price (Rs.) | : | |
| First Party | : | SATHI |
| Second Party | : | Not Applicable |
| Stamp Duty Paid By | : | SATHI |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 10 (Ten only) |

Please write or type below this line

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

## संशोधित नियमावली

1.संस्था का नाम–सपोर्टिंग एसोसिएशन फॉर थिमैटिक एण्ड होलेस्टिक इनीसिएटिब्स–(साथी)

2. संस्था का पंजीकृत पता– ग्राम/पोस्ट चाचिकपुर, तहसील भीटी, वाया गोसांईगंज ,जिला– अम्बेडकरनगर (उ0प्र0)।

3.कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत वर्ष।

4. सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

(i) सदस्यता हेतु आर्हता :

(क) कोई स्वैच्छिक संस्था या व्यक्ति जो ग्रामीण विकास में ग्रामस्वराज की अवधारणा की स्थापना के लिए लगा हुआ है या साथी के उद्देश्यों के अनुरूप कार्यरत हो, सदस्यता के लिए योग्य पात्र होगा।साथी की कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के अधीन सदस्य हो सकेगा।

(ख)आर्थिक भ्रष्टाचार या नैतिक कदाचार का दोषी न हो।

(ग)उसकी अपनी 'एक स्वैच्छिक विकास संस्था' की/स्वयं की एक सामाजिक कार्य करने वाले के रूप में समुदाय में पहचान हो।

(घ) मात्र 'कल्याण अवधारणा' (चैरिटेबुल एप्रोच) पर कार्यरत न हो।

(ड.)सदस्यता की इच्छुक संस्था/व्यक्ति की व उसकी गतिविधियों से कार्यकारिणी के सदस्य परिचित हों।

(ii) सदस्यता के प्रकार:

**(क)व्यक्तिगत सदस्य :–**

कार्यकारिणी समिति अपने विवके पर उन व्यक्तियों को साथी की व्यक्तिगत सदस्यता प्रदान करेगी जो ग्राम स्वराज के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करने एवं योगदान के पहचाने जाते हैं। किन्तु ऐसे सदस्य सलाहकार अथवा संरक्षक की हैसियत से साथी से जुडे होंगे उन्हे मताधिकार नही होगा।

**(ख) साधारण सदस्य :–**

साथी उत्तर प्रदेश की प्रवृत्तियों व विचारों से मेल खाते स्वैच्छिक संस्था/व्यक्ति कार्यकारिणी द्वारा सर्वसम्मति से नियत की गई रीतियों से साधारण सदस्य बन सकेंगे।

**(ग) अस्थायी सदस्य :–**

साथी उत्तर प्रदेश के किन्ही दो साधारण सदस्यों व सम्बंधित जिला स्तरीय समितियों द्वारा सदस्यता हेतु अनुसंशित स्वैच्छिक संस्था अस्थाई तौर पर एक एक वर्ष हेतु अधिकतम तीन वर्ष के लिये अस्थाई सदस्यता प्राप्त कर सकेंगे। इस अन्तराल में संस्था के किन्ही दो सदस्यों के साथ जिला स्तरीय समितियों की अनुसंशा पर उन्हे नियत रीति से साधारण सदस्य बनाया जा सकेगा।

**(घ) सदस्यता शुल्क :–**100 रूपये वार्षिक होगा।

Shalini Singh

5. **सदस्यता की समाप्ति :–**

(i) सभी प्रकार की सदस्यता को कार्यकारिणी समिति की बैठक में दो तिहाई बहुमत के आधार पर समाप्त किया जा सकता है। इस तरह के विषय को निर्णय हेतु बैठक के एजेण्डा मे शामिल किया जायेगा और आरोपित सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने की नोटिस एवं अवसर प्रदान किया जायेगा। इसके बाद कार्यकारिणी समिति नियम व कानून को ध्यान में रखते हुए समुचित निर्णय करेगी।

(ii) किसी भी सदस्य द्वारा लगातार तीन वर्ष तक सदस्यता शुल्क नही जमा करने पर उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी। ऐसा करने से पहले सम्बंधित सदस्य को देय से सम्बंधित स्पष्टीकरण या अवसर की तीन माह की नोटिस दी जायेगी। इसी तरह सदस्यता की समाप्ति कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

(iii) इसके अतिरिक्त भी निम्न परिस्थितियों में सदस्यता समाप्त की जा सकेगी –

(क) साथी की मर्यादा, उद्देश्यों, छवि के विरूद्ध आचरण किया जाना सिद्ध होने पर।

(ख) लगातार तीन साधारण सभा की बैठकों में अनुपस्थित होने पर।

(ग) आर्थिक भ्रष्टाचार या नैतिक कदाचार का दोषी सिद्ध होने पर।

**(iv) सदस्यता से त्यागपत्र–**

(i) अध्यक्ष को लिखित रूप से त्यागपत्र की सूचना देकर कोई भी सदस्य अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है।

(ii) इस तरह के सभी त्यागपत्र अन्तिम निर्णय हेतु कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

**6. संस्था के अंग :– (1 ) साधारण सभा (2) प्रबंधकारिणी समिति**

**7. साधारण सभा:**

गठन :

क्रम संख्या पॉच मे वर्णित सभी सदस्य (व्यक्तिगत व अस्थाई सदस्यों को छोडकर) साधारण सभा में शामिल होंगे।

बैठकें:

(अ) संस्था की आम सभा की बैठक सामान्यतः वर्ष मे एक बार कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित तिथि व स्थान पर होगी। विशेष बैठक आवश्यकता अनुसाार बुलाई जायेगी।

(ब) संस्था की आम सभा की बैठक में निम्नलिखित बातों पर विचार विमर्श होगा –

i. सचिव की रिपोर्ट पर विचार
ii. अंकेक्षित लेखों पर विचार
iii. कार्यकारिणी समिति और पदाधिकारियों का चुनाव करना।
iv. एजेण्डे में शामिल किये गये अन्य विषयों पर विचार करना।
v. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य दूसरे मामलों पर विचार करना।

**(स) बैठक की सूचना :–**

i. आम सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व दी जायेगी विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व दी जायगी।
ii. यह सूचना संस्था के सदस्यों को या तो व्यक्तिगत तौर पर दी जा सकती है या डाक द्वारा भेजी जा सकती है।

Shalini Singh

iii. संस्था की आम सभा की बैठक से चौदह दिनों के अन्दर, नवनिर्वाचित पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का नाम, पता, पद एवं व्यवसाय की सूची अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा सोसायटी के रजिस्टार को प्रेषित होगी।

iv. **आम सभा की सामान्य बैठकें :**
सचिव द्वारा अध्यक्ष से विचार–विमर्श करके या कार्यकारिणी समिति के निर्णय के अनुसार इस तरह की बैठक के लिए दो तिहाई सदस्यों की चौदह दिन की पूर्व सूचना के आधार पर आम सभा की असामान्य बैठक बुलाई जा सकती है।

v. **मतदान :–**

1. **साथी** की कार्यकारिणी समिति के गठन में सभी साधारण सदस्यों को मतदान का अधिकार होगा।

2. मतदानों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष अपना निर्णयक मत देने के लिए अधिकृत होगा।

**(vi)वार्षिक अधिवेषन की तिथि :–**
आम सभा कि बैठक वर्ष में एक बार तथा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

**(vii) गणपूर्ति :–**
पूरे सदस्यों की कम से कम दो तिहाई संख्या साथी की आम सभा की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति करेगी। जबकि गणपूर्ति न होने की स्थिति मे बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित कर दी जायेगी और इसके बाद फिर शुरू होगी और तब उसके लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नही होगी।

**साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :–**

1. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट एवं रिपोर्ट तैयार करना।
3. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन एवं परिवर्तन 2/3 सदस्यों से पारित करना।

8. **कार्यकारिणी समिति :–**
(अ)गठन : सात से कम और इक्कीस से ज्यादा न होने वाले सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति होगी जो निम्न लिखित तरीके से गठित होगी–

i. अध्यक्ष
ii. उपाध्यक्ष
iii. सचिव
iv. कोषाध्यक्ष
v. सदस्य गण 9 कुल संख्या 13 होगी।

(ब) पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समिति के सदस्य, आम सभा द्वारा अपने साधारण सदस्यों में से चुने जायेंगे।

(स)कार्यकारिणी समिति जरूरत पडने पर अपने में एक या एक से अधिक सदस्यों को समन्वयक के रूप में विशेष सेवा अथवा कार्यक्रम के लिए नियुक्त कर सकती है।

**(द) कार्यकारिणी समिति के अधिकार :**
प्रशासन,प्रबंधन, कोष देख रेख एवं कार्यक्रम के संचालन सम्बन्धी सभी अधिकार कार्यकारिणी समिति के पास होंगे और आवश्यकता पडने पर व अपने अधिकारों को पदाधिकारियों को या उपसमितियों को कार्यक्रम संचालन हेतु सौंप सकती है कार्यकारिणी समिति अपनी खुद की उप विधियां बनाने के लिए अधिकृत है।

Shalini Singh

(य)बैठकें :

i. कार्यकारिणी समिति की बैठक कम से कम साल मे दो बार अध्यक्ष द्वारा तय की गई तिथियों, समय और स्थान पर सम्पन्न होगी।

ii. कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक आम सभा की बैठक से ठीक पहले भी आयोजित होगी।

(र)सूचना अवधि :

आम सभा की बैठक के तत्काल बाद होने वाली बैठक के अलांवा कार्यकारिणी समिति की सभी बैठकों हेतु सदस्यों को कम से कम सात दिन पूर्व सूचना दी जायेगी। विशेष बैठक हेतु 2 दिन पूर्व सूचना प्रदान की जायेगी।

(ल) गणपूर्ति : किसा भी बैठक में कम से कम दो तिहाई उपस्थिति किसी कार्य के संपादन हेतु गणपूर्ति करेगी।

रिक्त स्थान की पूर्ति :

साथी की कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के कार्यकाल के दौरान होने वाले उनके रिक्त स्थान, आम सभा के साधारण सदस्यों मे से भरे जायेंगे।

कार्यकाल :

आम सभा की बैठक में पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव पॉच वर्ष के लिए किया जायेगा कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल जब तक अगला चुनाव नही होता तब तक के लिए साधारण सभा की बैठक के द्वारा बढ जायेगा परन्तु इस प्रकार बढी हुई अवधि एक वर्ष से अधिक नही होगी। इसके सभी पदाधिकारी और सदस्य पुनः चुनाव के लिये योग्य होंगे।

**कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-**

1.संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।

2. संस्था का वार्षिक वजट और रिपोर्ट तैयार करना।

3. संस्था की शाखाओं तथा उपसमितियों का गठन करना और उस पर नियंत्रण करना।

4. संस्था की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं देख रेख करना।

**9. कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्यः**

(अ) अध्यक्षः

(i) संस्था का अध्यक्ष संस्था की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(ii) संस्था के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य व दायित्वों का निर्वाहन करेगा।

(iii)संस्था की तरफ से पत्राचार करना तथा सभी फाईल एवं रिकार्ड को अपनी देख रेख में रखना।

(iv) संस्था मुख्यालय के दैनिक कार्य को सम्पादित करना।

(v) संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु लोकोपयोगी साहित्य का प्रकाशन करना।

(vi)कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृति बजट के अनुसार धनराशि को प्राप्त करना, भुगतान करना, एवं खर्च को सुनिश्चित करना।

(vii) कार्यकारिणी समिति द्वारा तय किये गये कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को संस्था के विकास के लिए क्रियान्वित करना।

(ब) उपाध्यक्ष :

(i) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उन सभी कर्तव्यों का निर्वाह करेगा जो उसे अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये हैं।

J.C

Shalini Singh

(ii) किसी बैठक में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता हेतु अध्यक्ष चुन सकते हैं।

**(स) सचिव** : निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा –

(ii) आम सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक के लिए सूचना भेजना तथा उनकी कार्यवाही का रिकार्ड रखना।

(ii) संस्था के सदस्यों और उनसे सम्बंधित गतिविधियों की सूची को रिकार्ड में रखना।

(iii) वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना और इसे आम सभा तथा कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

(iv) संस्था से सम्बंधित सभी प्रशासनिक दायित्व, कार्यकार्ताओं की नियुक्ति, प्रोन्नति,निष्काषन सम्बंधी कार्य अधिकार का निर्वाहन अध्यक्ष की सहमति से करना।

(v) अन्य दायित्व जो समय – समय पर कार्यकारिणी समिति द्वारा नियत किए जाए।

**(द) कोषाध्यक्षः**

कोषाध्यक्ष उचित ढंग से लेखा कार्यों को सम्पादित करेगा और प्रत्येक वर्ष के अंकेक्षित लेखा कथन को आम सभा व कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

**10. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया :–**

**साथी** का संविधान (स्मृति पत्र) इसकी तदर्थ आयोजित आम सभा की विशेष बैठक में उपस्थिति सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से संशोधित बैठक के एजेण्डा में शामिल होगा और कम से कम इस बैठक से 14 दिन पूर्व सभी सदस्यों को प्रेषित किया जायेगा।

**11. संस्था का कोष :–**

**साथी निधि** :–साथी निम्नलिखित स्रोतों से निधि स्थापित करेगा

(i) सदस्यता शुल्क द्वारा

(ii) सदस्यों द्वारा अनुदान, योगदान और दान

(iii) सेवाओं के बदले प्राप्त आर्थिक सहयोग या शुल्क द्वारा

(iv) गैर सदस्यों, सरकारी एवं स्थानीय निकायों, सार्वजनिक / निजी उपक्रमों, संगठनों, संस्थानों और अन्य राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं, इत्यादि द्वारा अनुदान, दान एवं योगदान से।

**ऋण :–**

**साथी** कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृति विकास परियोजनाओं एवं अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सरकारी प्रतिष्ठानों/बैंकों/निगमों/ट्रस्ट/स्थानीय निकायों/संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठानों से ऋण के आदान की स्वीकृति कर सकता है।

**12. संस्था के आय व्यय का लेखा एवं अंकेक्षण :–**

(i)संस्था की कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित तौर तरीकों के अनुसार उचित ढंग से लेखा एवं अन्य तर्कसंगत रिकार्डों को रखेगी तथा वार्षिक लेखा आदि तैयार करेगी।

(ii)संस्था का लेखा, कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्ति किए कए चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रति वर्ष अंकेक्षित किया जायेगा।

(iii)अंकेक्षित लेखा, अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ कार्यकारिणी के समक्ष विचार एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। इसके बाद यह लेखा तथा प्रतिवेदन आम सभा के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

बैंक खाता :–

Shalini Singh

साथी बैंक खाता का संचालन अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। जिसमें मुख्य कार्यकारी का हस्ताक्षर आवश्यक होगा।

**13. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :–**
संस्था द्वारा होने वाले पक्ष– विपक्ष के मुकदमों की पैरवी अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृति अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।

**14. संस्था के अभिलेख :–**
1.सदस्यता रजिस्टर 2. कार्यवाही रजिस्टर 3. स्टाक रजिस्टर 4.लेजर कैश– बुक आदि
5. उपस्थिति रजिस्टर 6.गतिविधि रजिस्टर 7.आगंतुक रजिस्टर
इसके अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार अन्य आवश्यक रजिस्टर रखे जायेंगे।

**15. साथी के विद्यटन :–**
(अ) साथी बैठक मे उपस्थित उसके सदस्यों के कम से कम तीन– पांचवी के बहुमत द्वारा लिए गये निर्णय से का विद्यटन किया जा सकता है या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के प्रावधान के अनुसार इसके सभी सदस्यों से लिखित स्वीकृति प्राप्त करने के आधार पर साथी का विद्यटन किया जा सकता है।

**(ब) साथी** का विद्यटन होने पर इसके सभी कर्जों और उत्तर दायित्वों को पूरा करने के बाद यदि कोई सम्पत्ति बचती है तो यह आम सभा और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के बीच विभाजित नही की जायेगी, बल्कि किसी ऐसी सोसायटी को स्थान्तरित कर दी जायेगी जिसके उद्देश्य साथी से मिलते जुलते हों। ऐसा करने के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के सेक्शन 13 एवं 14 के प्रावधानों का अनुसरण किया जायेगा।

दिनॉक: 30/07/2022

सत्य पतिलिपि
Shalini Singh

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फार्म सोसाईटी एवं चिट्स
अयोध्या (उ0 प्र0)